पीठासीन अधिकारी

तारीख दायर

मुकदमा नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 27.7.2023..... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible] / 2022	27-07-2022	27/07/2022

[illegible]

01. सतपाल
02. [illegible] पुत्रान स्व. दिलसुख
03. [illegible] पुत्र स्व. श्री सतवीर पुत्र स्व. श्री दिलसुख जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला– अलवर (राजस्थान)

——: वादीगण

बनाम

01. चन्दर
02. रामोतार
03. शेरसिंह पुत्रान स्व. ठीतर जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
04. सन्तोष पुत्री स्व. शिवलाल पुत्र स्व. ठीतर पत्नि ओमप्रकाश
05. सरला पुत्री स्व. शिवलाल पुत्र स्व. ठीतर, पत्नि सतीश जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) हाल निवासीगण ग्राम जगमालहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
06. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तिजारा उप पंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
07. राजस्थान सरकार जरिये पेशकार तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———: असल प्रतिवादीगण

08. चन्द्रो पत्नि स्व. दिलसुख
09. परमजीत पुत्रान स्व. सतवीर पुत्र स्व. दिलसुख
10. रंजीता पुत्री स्व. सतवीर पुत्र स्व. दिलसुख जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 3 बीघा (0.76 हैक्ट.), 85 रकबा 3 बिस्वा (0.04 हैक्ट.) किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बीघा (0.8000 हैक्ट.) वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित कहलावेगी। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा स्व. दिलसुख विवादित

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

तथा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज व [illegible] जो कि स्व दिलसुख के जीवित विधिक वारिसान है, उक्त आराजी के बाद हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण, जो कि स्व दिलसुख के [illegible] करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी पर हम पर बतौर काबिज काश्तकार दाखिल होकर उपयोग-उपभोग [illegible] वास्तविक कब्जा है और फसल काश्त की हुई है व लगातार फसलें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का मौके पर वास्तविक कब्जा है स्व दिलसुख के जीवित विधिक वारिसान है। हम काटी व समेटी है। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण, स्व दिलसुख का उक्त आराजीयात के रकबा 2 बीघा 10 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा श्री दिलसुख [illegible] में बतौर खातेदार अमल हो रहा है। विवादित बिस्वा भूमि में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2029, 2033, 2035 में बतौर खातेदार अमल हो रहा है। विवादित आराजी में से हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का आराजी रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में असल प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में शिवलाल पुत्र छीतर के नाम अमल दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उसके विधिक वारिसान को असल प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी की आगामी जमाबंदी संवत 2036 तैयार करते समय उक्त आराजी में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता/पति/दादा स्व दिलसुख की 2 बीघा 10 बिस्वा से स्व दिलसुख के नाम के स्थान पर असल प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के पिता/पति/दादा छीतर का गलत अमल कर दिया तथा छीतर की मृत्यु के बाद उक्त गलत अमल के आधार पर छीतर की विरासत असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हक में अमल व दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दी गई। जो कि खिलाफ मौका व रिकार्ड है। जबकि उक्त आराजी के रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार है। तथा हम वादीगण की उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वक्त संवत 2036 में राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 के पिता/दादा छीतर को विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से की 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी का खिलाफ कानून, खिलाफ मौका खातेदार दर्ज कर दिया जो कि कानूनन गलत है एवं छीतर की मृत्यु हो जाने के बाद हाल राजस्व रिकार्ड में उसके वारिसान असल प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 3 व असल प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के पिता शिवलाल के नाम दर्ज किया गया जो गलत दर्ज किया गया है जो इन्द्राज हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूध बातिल वो बेअसर है, नाकाबिल पाबदी है, जिससे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण कतई पाबंद नहीं है जो काबिले दुरूस्त इन्द्राज है। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण ने किसान कार्ड हेतु विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकुलात प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.04.2022 को हल्का पटवारी के पास नकल लेने गये तो इस गलत इन्द्राज का ज्ञान हुआ। जिस पर वादीगण ने अन्य नकूलात प्राप्त की एवं दिनांक 23.07.2022 को असल प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 से उक्त रिकार्ड दुरूस्त कराने के लिए निवेदन किया तो असल प्रतिवादीगण इससे साफ तौर पर इन्कार कर दिया और विवादित आराजी को गलत अमल की आड में दीगर जगह बेचान करने की धमकी दी और कहा हम उक्त आराजीयात से तुझे बेदखल कर दीगर लोगो को बेचान करूंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो मिन वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को अजहद हानि होगी और अपनी दादालाई की आराजी से बेदखल होना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में आंकी जाना संभव नहीं होगा। इसलिये अपने हकूको की रक्षार्थ वादीगण प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

अलवर के हाल आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 84 रकबा 3 बीघा, 85 रकबा
बीघा 3 बीघा (0.8000 हैक्ट.) के 2 बीघा 10 बिस्वा (0.6300 हैक्ट.) का खातेदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को साबिक रिकोर्ड के अनुसार विवादित आराजी के 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से हम असल प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है।

वादीगण अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 3 बीघा (0.76 हैक्ट.), 85 रकबा 3 बिस्वा (0.04 हैक्ट.) किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बीघा (0.8000 हैक्ट.) में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (0.63 हैक्ट.) वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर जिस पर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का मौके पर वास्तविक कब्जा है का खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षकारान बहस पर मनन किया। दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 3 बीघा (0.76 हैक्ट.), 85 रकबा 3 बिस्वा (0.04 हैक्ट.) किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बीघा (0.8000 हैक्ट.) में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (0.63 हैक्ट.) वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
383/2022	27-07-2022	27/07/2023

उनवान

01. सतपाल
02. पतराम पुत्रान स्व. दिलसुख
03. शिवशक्ति पुत्र स्व. श्री सतवीर पुत्र स्व. श्री दिलसुख जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला– अलवर (राजस्थान)

-----:: वादीगण

बनाम

01. चन्दर
02. रामौतार
03. शीशराम पुत्रान स्व. छीतर जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
04. धनपति पुत्री स्व. शिवलाल पुत्र स्व. छीतर पत्नि औमप्रकाश
05. लीला पुत्री स्व. शिवलाल पुत्र स्व. छीतर, पत्नि सतीश जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) हाल निवासीगण ग्राम जगमलहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
06. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, तिजारा उप पंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
07. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

------:: असल प्रतिवादीगण

08. चन्द्रो पत्नि स्व. दिलसुख
09. परमजीत पुत्रान स्व. सतवीर पुत्र स्व. दिलसुख
10. रंजीता पुत्री स्व. सतवीर पुत्र स्व. दिलसुख जाति अहीर निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

------:: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

हाल आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 3 बीघा (0.76 हैक्ट.), 85 रकबा 3 बिस्वा (0.04 हैक्ट.) किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बीघा (0.8000 हैक्ट.) में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (0.63 हैक्ट.) वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज भूमि में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष आराजी यथावत रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०